राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2314/2002

हनुमान प्रसाद **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर जरिये।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, नागौर।
5. जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ़।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक :
आदेश की दिनांक : 03.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप वर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 19/2023 में अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को पुन नम्बर पर लिया जाना एवं सूचीबद्ध किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.09.2002 के क्रम में जारी आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2002 जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध रूपये 7,509/– की वसूली जारी की गई है, को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति से पिछले 8 वर्षों से सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये गये हैं, उन सभी लाभों को अंतिम वेतन आहरण रूपये 2,900/– प्रतिमाह के आधार पर प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 12.12.1953 के द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति अमीन के पद पर हुई थी और उसे समय–समय पर पदोन्नति प्रदान करते हुये नायब तहसीलदार के पद पर वेतन श्रृंखला 1640–2900 में पदोन्नति दी गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 07.04.1978 को कार्यग्रहण किया और उसे दिनांक 15.04.1985 से नायब तहसीलदार के पद पर कंफर्म किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक जिसका नाम अपीलार्थी से ऊपर वरिष्ठता सूची में अंकित किया गया और उसे तहसीलदार के पद पर आदेश दिनांक 07.10.1989 के द्वारा पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी को वंचित रखा गया और अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष दिनांक 02.11.1989 अपील प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा दिनांक 03.06.1994 को आंशिक रूप से अपील स्वीकार करते हुये अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति दिनांक से पदोन्नति दिये जाने का आदेश दिया, जिसकी पालना में अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गई। आदेश दिनांक 24.07.1991 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया और जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निलंबन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया गया तथा रिट लंबित होने के दौरान अपीलार्थी दिनांक 30.09.1994 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया तथा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.04.1994 के द्वारा समस्त वेतन भुगतान किये जाने के आदेश किये गये। अपीलार्थी का वेतनमान दिनांक 21.07.1990 को रूपये 2600/– निर्धारित किया गया था, जो वेतन श्रृंखला 2000–3200 निर्धारित की गई। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 09.09.2002 एवं पत्र दिनांक 28.09.2002 के द्वारा अपीलार्थी के वेतन को रूपये 2900/– से रूपये 2825/– कर दिया गया और अपीलार्थी के विरूद्ध की गई वसूली विधि एवं नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी के उपार्जित अवकाश एवं चिकित्सीय अवकाश आदि की नियमानुसार स्वीकृति एवं भुगतान नहीं किये गये। उनका कथन है कि दिनांक 20.11.1992 से 05.10.1993 तक 74 दिवस का उपार्जित अवकाश एवं 20 दिवस का चिकित्सीय अवकाश कुल 94 दिवस का अवकाश होता है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 02.01.2002 के द्वारा 77 दिवस एवं 11 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया गया है और 88 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.09.2002 के क्रम में जारी आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2002 जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध रूपये 7,509/– की वसूली जारी की गई है, को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति से पिछले 8 वर्षों से सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये गये हैं, उन सभी लाभों को अंतिम वेतन आहरण रूपये 2,900/– प्रतिमाह के आधार पर प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के अवकाशों की स्वीकृति एवं उसके विरूद्ध निकाली गई वसूली नियमानुसार है तथा उक्त आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष निराधार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अमीन के पद पर हुई थी तथा समय–समय पर पदोन्नति प्रदान करते हुये नायब तहसीलदार के पद पर वेतन श्रृंखला 1640–2900 में पदोन्नति की गई और अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया, परंतु आदेश दिनांक 24.07.1991 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया और जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निलंबन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया गया तथा रिट लंबित होने के दौरान अपीलार्थी दिनांक 30.09.1994 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली आदेश जारी किये जाने एवं सेवानिवृत्ति से 8 वर्ष से सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये आधारों एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता की बहस को ध्यान में रखते हुये यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि

वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य